समाचार

कोरबा प्रवेश क्षेत्र दर्री मुख्य मार्ग होगा सुसज्जित, बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, उद्यानों को होगा जीर्णोद्धार दर्री में विकसित होगा वेंडिंग जोन व चौपाटी

(आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने वरिष्ठ पार्षद श्री नरेन्द्र देवांगन व अन्य पार्षदों के साथ दर्री क्षेत्र के विविध स्थलों का किया दौरा)

(कोरबा प्रवेश क्षेत्र एनटीपीसी दर्री क्षेत्र के मुख्य मार्ग के सुनियोजित विकास पर तत्काल कार्ययोजना तैयार करने व उस पर अमल करने के दिये निर्देश)

कोरबा 10 अप्रैल 2026 – कटघोरा से कोरबा रोड में ऊर्जाधानी कोरबा के प्रवेश क्षेत्र एनटीपीसी गोपालपुर दर्री क्षेत्र को अब सुसज्जित किया जायेगा तथा उक्त मुख्य मार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण होगा, वहीं दर्री क्षेत्र में रोड साईट पर असुरक्षित रूप से व्यवसाय करने वाले लघु व्यवसायियों को सुरक्षित व्यवसाय स्थल उपलब्ध कराने हेतु एक ओर जहॉं वेंडिंग जोन का निर्माण किया जायेगा, वहीं दूसरी ओर सर्वसुविधायुक्त चौपाटी का निर्माण भी होगा, इससे मुख्य मार्ग के किनारे से अवैध कब्जों, अतिक्रमण आदि का व्यवस्थापन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

आज आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने दर्री क्षेत्र के वरिष्ठ पार्षद श्री नरेन्द्र देवांगन, सरोज शांडिल्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, एनटीपीसी व निगम के अधिकारियों के साथ दर्री एनटीपीसी क्षेत्र का सघन रूप से दौरा किया तथा वहॉं की व्यवस्थाओं व समस्याओं का अवलोकन किया। एनटीपीसी गोपालपुर दर्री जमनीपाली कोरबा कटघोरा मुख्य मार्ग में ऊर्जाधानी कोरबा का प्रवेश क्षेत्र

है, इस सम्पूर्ण मुख्य मार्ग को ऊर्जाधानी कोरबा की गरिमा के अनुरूप विकसित किया जाए एवं मुख्य मार्ग में व्याप्त अव्यवस्था, अतिक्रमण व अवैध कब्जों को व्यवस्थित एवं व्यवस्थापित कर मुख्य मार्ग का समुचित विकास किया जाए, इस विषय पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने एनटीपीसी व निगम के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर उस पर अमल करने के निर्देश दिये।

उद्यानों के विकास व ग्रीन कॉरिडोर पर कार्य करेगा एनटीपीसी – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने एनटीपीसी के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुये कहा कि उक्त मुख्य मार्ग पर पर्याप्त रूप से वृक्षारोपण व उद्यानिकी आदि कार्यो के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करायें तथा इस सम्पूर्ण क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करें, रोड साईट पर लघु उद्यानों का निर्माण करायें, जीर्ण–शीर्ण उद्यानों का जीर्णोद्धार करें तथा इस हेतु एक सुनियोजित कार्ययोजना तैयार कर उस पर अमल करें। उन्होने कहा कि उक्त स्थल कटघोरा से कोरबा आने का मुख्य प्रवेश क्षेत्र है, जिसे सजाना, संवारना, व्यवस्थित एवं सुंदर रूप देना सभी का दायित्व है।

बनेगा वेंडिंग जोन, चौपाटी का होगा निर्माण – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि उक्त क्षेत्र के मुख्य मार्गो में रोड साईट पर अव्यवस्थित रूप से व्यवसाय करने वाले लघु व्यवसायियों को सुरक्षित व्यवसाय स्थल उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुये बस स्टैण्ड जमनीपाली के आसपास वेंडिंग जोन व चौपाटी का निर्माण करायें तथा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा कर रोड साईट पर व्यवसाय करने वाले लघु व्यवसायियों को वेंडिंग जोन व चौपाटी में व्यवस्थापित करायें। उन्होने कहा कि इससे एक ओर जहॉ लघु व्यवसायियों को सुरक्षित व सर्वसुविधायुक्त व्यवसायिक स्थल उपलब्ध हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्ग व अवैध कब्जों व अतिक्रमण को दूर कर मार्ग का समुचित विकास किया जा सकेगा।

यात्री प्रतीक्षालय के समीप गंदगी पर नाराजगी – आयुक्त श्री पाण्डेय ने एनटीपीसी गेट के समीप स्थित यात्री प्रतीक्षालय के आसपास व्याप्त गंदगी व बिखरे हुये कचरे को देखकर एनटीपीसी के अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की तथा इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये यात्री प्रतीक्षालय के आसपास ही सम्पूर्ण सफाई त्वरित रूप से किये जाने के निर्देश दिये। एनटीपीसी गेट के सामने अवैध कब्जों व अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित होता है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, आयुक्त श्री पाण्डेय ने उक्त अतिक्रमण व अवैध कब्जों को भी वहॉ से हटाये जाने एवं लघु व्यवसायियों को व्यवस्थापित किये जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।

आई.ओ.सी. को दी चेतावनी – कटघोरा गोपालुपर दर्री मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे काफी संख्या में इंडियन आयल कार्पोरेशन के टैंकर अव्यवस्थित रूप से खड़े किये जाते हैं, मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर अव्यवस्थित रूप से खड़े होने वाले इन भारी वाहनों व टैंकरों के कारण आवागमन बाधित होता है, दुर्घटना की संभावना बनती है तथा मार्ग से गुजरने वाले आमनागरिकों, वाहन चालकों को अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ता है। आयुक्त श्री पाण्डेय ने भ्रमण के दौरान उक्त स्थल का अवलोकन किया तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा कर अव्यवस्थित रूप से वाहन टैंकर खड़े न किये जाए अन्यथा इस पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आई.ओ.सी. की होगी।